स्वतंत्र प्रशिक्षण-सामग्री · टीम समदड़ी (BLMT), जिला बालोतरा — आयोग का प्रकाशन नहीं

पीठासीन अधिकारी (PRO)
मतदान केन्द्र की पूरी कमान

नगरपालिका आम चुनाव 2026 (राजस्थान) — भूमिका-समर्पित प्रशिक्षण डेक

- मतदान: 09 एवं 11 सितम्बर 2026 · प्रातः 7:00 – सायं 6:00 · मतगणना 14.09.2026
- मशीन: ECIL MPSV — END बटन मास्क [2184 ¶9(xxi)] · दल: आप + 3 मतदान अधिकारी
- आप आबद्ध हैं: निर्वाचन विधि + आयोग की मार्गदर्शिका से — किसी और से नहीं [मार्गदर्शिका अ.3(6)]
- स्वतंत्र सामग्री — आयोग का प्रकाशन नहीं; विवाद में मूल आदेश ही अंतिम

PO-1/2/3 के अपने-अपने समर्पित डेक अलग हैं; मशीन का बटन-स्तरीय अभ्यास EVM डेक व सिमुलेशन लैब में।

01

दिन की रीढ़ — समय-रेखा

एक घंटा पूर्व से लेकर सामग्री जमा कराने तक

दिन का प्रवाह — एक दृष्टि में

1. तैयारी
≥1 घंटा पूर्व · एजेंट

→ **2. मॉक पोल**
नोटा सहित 1-1 मत

→ **3. CLEAR**
मॉक-वोट हटाना अनिवार्य

→ **4. सीलिंग-शृंखला**
सील→टैग→ढक्कन→स्ट्रिप

→ **5. 7:00 — प्रारम्भ**
परि-6 + धारा 128

→ **6. मतदान**
निर्णय · डायरी · Total

→ **7. 6:00 — CLOSE**
पर्चियाँ पीछे से पहले

→ **8. 14-ग + लिफाफे**
मद 5 तत्काल

→ **9. जमा**
50-क की चार चीज़ें RO को

पीली कड़ी ही सबसे बड़ी चूक है

मॉक पोल के बाद CLEAR भूल जाना पूरे केन्द्र का परिणाम संदिग्ध कर देता है — सीलिंग से पहले शून्य एजेंटों को दिखाकर ही आगे बढ़ें।

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.4, अ.11, अ.14; नियम 47-क–50-क

मतदान दिवस — आपके नौ पड़ाव

1. **नियत समय से ≥1 घंटा पूर्व**
   केन्द्र पर पहुँचकर मशीन की तैयारी प्रारम्भ; एजेंटों को भी एक घंटा पूर्व बुलाएँ
2. **मॉक पोल**
   नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 1-1 मत; परिणाम-मिलान; CLEAR
3. **सीलिंग**
   पिंक पेपर सील → स्पेशल टैग → भीतरी ढक्कन → बाहरी कवर+पर्ची → ABCD स्ट्रिप
4. **घोषणा**
   परिशिष्ट-6 + धारा 128 जोर से; Total = 0 और लेबल एजेंटों को दिखाकर
5. **ठीक 7:00 बजे प्रारम्भ**
   देर हो भी जाए तो समाप्ति का समय आगे नहीं बढ़ेगा
6. **दिन भर**
   विशेष स्थितियों के निर्णय + डायरी + समय-समय पर Total-मिलान
7. **समाप्ति से कुछ मिनट पूर्व**
   पंक्ति के अंतिम छोर से हस्ताक्षरित-क्रमांकित पर्चियाँ
8. **CLOSE व लेखा**
   कुल संख्या तत्काल 14-ग मद 5 में; मशीन-कागज़ सील
9. **जमा**
   नियम 50-क की चार चीज़ें RO को — मतगणना स्थल के स्ट्रांग रूम तक

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.14(2)–(4); अ.11

02

मशीन — तैयारी से सील तक

यह खण्ड EVM डेक का सार है — बटन-स्तरीय अभ्यास वहीं कीजिए

मॉक पोल — सात कदम और एक अनिवार्यता

1. **पर्ची जारी → संग्रह**
   मॉक-मतदाताओं को पर्ची दें, स्वयं संग्रह करें — तभी वोट
2. **CLEAR से शून्य दिखाएँ**
   क्लियरिंग ≈25 सेकंड; 'Invalid operation' आए तो CRC (Close→Result-1→Clear)
3. **मत डलवाएँ**
   नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 1-1 — संख्या समान होना आवश्यक नहीं
4. **कागज़ पर लेखा**
   परिशिष्ट-19 के अनुसार; CLOSE→RESULT-I से मिलान
5. **दो सीरियल नोट करें**
   दूसरे क्रम पर SDMM-कमीशन CU; END से पहले POLL DAY CU — 14-ग शीर्ष व डायरी मद 5(2) में
6. **CLEAR दुबारा**
   मॉक-वोट हटाना कभी न भूलें — यही सबसे बड़ी चूक है
7. **प्रमाण-पत्र**
   परि-19 → परि-6 से संलग्न → डायरी बिन्दु 30 → लिफाफा E-10

बीच मतदान में नई मशीन लगे तो

नई मशीन से फिर मॉक पोल + परिशिष्ट-6 की अतिरिक्त घोषणा; RO अभ्यर्थियों को लिखित सूचना देंगे। [अ.5(7) · 2184 ¶11(4)]

सीलिंग-शृंखला — नियम 32-ख(3) का प्रयोजन

1. **CU स्विच ऑफ**
   परिणाम खंड सील करने से पहले अनिवार्य
2. **पिंक पेपर सील**
   भीतरी ढक्कन के फ्रेम में — पिंक पीछे, सफेद बाहर; क्रमांक के नीचे पूरे हस्ताक्षर; क्रमांक सबको नोट कराएँ (14-ग मद 9)
3. **स्पेशल टैग**
   CU क्रमांक लिखकर हस्ताक्षर; हरा ट्वाईन+चपड़ी; CLOSE सुलभ रहे; खराब टैग कदापि नहीं
4. **ढक्कन-कवर**
   भीतरी ढक्कन बंद (सील-छोर बाहर) → बाहरी कवर + धागा + मुहर-सहित पर्ची
5. **ABCD स्ट्रिप**
   A निचला सिरा → B बाईं मोड़ → C ऊपरी छोर → D: CLOSE की रबर कैप के नीचे से घुमाकर — सीरियल दिखता रहे

सील का प्रयोजन नियम के शब्दों में

सील ऐसे लगे कि तोड़े बिना रिजल्ट सेक्शन दबाया ही न जा सके [32-ख(3)]।
सील लगाने का अधिकार तीनों को: मतदान अभिकर्ता / निर्वाचन अभिकर्ता / अभ्यर्थी [47-क(3)]।
लेबल भीतर-बाहर दोनों ओर — और प्रारम्भ से पूर्व एजेंटों को लेबल भी दिखाएँ [32-ख(4)-(5)]।

03

प्रारम्भ व प्रवेश-नियंत्रण

घोषणा, गोपनीयता की शपथ, और 100 मीटर की सीमा

एजेंटों को क्या-क्या दिखाना अनिवार्य

- **मॉक पोल का परिणाम + CLEAR** — और मशीन में कोई पूर्व-मत नहीं (Total = 0)
- **चिन्हित प्रति** — 'पी बी' व 'ई डी सी' के अलावा कोई प्रविष्टि नहीं
- **रजिस्टर 14-क** — कोई प्रविष्टि नहीं
- **पेपर सील क्रमांक** — एजेंटों को नोट करने दें
- **यूनिटों के लेबल** — प्रायः छूटने वाला दूसरा खण्ड — 32-ख(5) इसे भी माँगता है

परिशिष्ट-6 + धारा 128
घोषणा पढ़ें, धारा 128 (गोपनीयता) जोर से सुनाएँ, स्वयं हस्ताक्षर करें, इच्छुक एजेंटों के लें —
जो इनकार करें, उनके नाम भी घोषणा पर लिखें। यही परि-6 समाप्ति व नई-मशीन पर भी दोहराई जाती है।

भीतर कौन — और कौन कभी नहीं

अनुमति	शर्त
मतदान अधिकारी · ड्यूटीरत लोकसेवक	'लोकसेवक' में मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री शामिल नहीं
अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रति-अभ्यर्थी एक मतदान अभिकर्ता	प्ररूप-9 पर; एक समय एक; +2 रिलीवर
गोद का बच्चा · दृष्टिहीन/शिथिलांग का साथी	साथी की विधिक प्रक्रिया अलग (नियम 38-क)
आयोग-प्राधिकृत व्यक्ति/पर्यवेक्षक/मीडिया	मान्य प्राधिकार-पत्र पर; मत की फोटो कभी नहीं

100 मीटर की भाषा

केन्द्र + 100 मीटर आपके नियंत्रण में; मोबाइल पूर्ण वर्जित (यही 'नेबरहुड सीमा')।
प्रचार = धारा 130 का अपराध; उद्दण्डता/अवज्ञा = 131–132; सशस्त्र प्रवेश = 134-ख।
वी.आई.पी. को कोई विशेष महत्व नहीं — हाथ मिलाना भी नहीं। [अ.5(9)]

04

विशेष स्थितियाँ — निर्णय आपके

चुनौती · निविदत्त · No Vote · साथी · EDC · CLOCK ERROR

निर्णय

आक्षेपित मत — ₹2 और नियम 43(5) की कसौटी

सुधार

1. एजेंट की चुनौती
₹2 नकद — तभी मान्य

→

2. परि-13 रसीद
शास्ति समझाएँ (BNS 172/174)

→

3. शपथ पर संक्षिप्त जांच
पहले चुनौतीकर्ता, फिर मतदाता

→

4. निर्णय — सकारण
प्ररूप-13 स्तम्भ 8 में

जांच का परिणाम	मत	₹2 राशि
चुनौती सही सिद्ध	मत नहीं; पुलिस के हवाले — थानाधिकारी को परि-9 का पत्र (प्रति RO को)	वापस
चुनौती असिद्ध	मतदाता मत देगा	वापस
चुनौती तुच्छ/असद्भावी	मतदाता मत देगा	जब्त — एकमात्र स्थिति

मार्गदर्शिका का अकेला वाक्य

'सही पाई गई → जब्त' वाला वाक्य नियम 43(5) और आयोग के अपने डेक — दोनों के विरुद्ध अकेला है; पढ़ाएँ नियम की कसौटी।

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.6(2); नियम 43(5) — आयोग के PP2 डेक (स्लाइड 51–53) से पुष्ट; परिशिष्ट-9/13

निर्णय

निविदत्त मत · No Vote बनाम 'अनुमति नहीं'

1. **फर्जी वोट पड़ चुका, असली आया**
   निविदत्त मतपत्र (केन्द्र पर 20) — पीठ पर स्टाम्प+सुभिन्नकारी मोहर; 14-ख में हस्ताक्षर; चिन्हित प्रति में 'टी'; ऐरोक्रॉस से चिन्हित → E-5
2. **हस्ताक्षर के बाद मत से इनकार**
   पहले नोटा हेतु प्रेरित करें; फिर भी नहीं तो रजिस्टर में 'No Vote' → 14-ग मद 3
3. **स्याही/हस्ताक्षर से इनकार या प्रक्रिया-भंग**
   मत नहीं देने देंगे → मद 4 (नियम 35-क/37-क) — मद 3 से कभी न मिलाएँ

गणित यहीं टिका है

मद 5 = मद 2 − मद 3 − मद 4 (परिशिष्ट-8 का नमूना: 807 = 815 − 5 − 3)।
निविदत्त प्रकरण आप स्वयं ही निपटाएँ। [अ.8(1)]

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.8(1); अ.1 का बॉक्स; प्ररूप 14-ग का मूल पाठ (मद 3–4)

साथी, दिव्यांग-सुविधा और EDC

- **साथी** — केवल दृष्टिहीनता/अंग-शिथिलता पर; 18+; दिन में एक ही मतदाता का; परि-12 घोषणा + प्ररूप-12 → E-14 (सील नहीं)
- **निरक्षरता पर्याप्त नहीं** — साथी की अनुमति का आधार नहीं बनती
- **PwD सुविधा (आदेश 4297)** — प्राथमिकता, व्हील-चेयर/रैम्प, विनम्रता — पर 38-क की विधिक प्रक्रिया इससे समाप्त नहीं होती
- **EDC धारक (प्ररूप 16)** — उस पर हस्ताक्षर लें; नाम व क्रम-संख्या चिन्हित प्रति के अंत में; RO के हस्ताक्षर+मोहर व आपका ही केन्द्र लिखा हो; सारे प्ररूप 16 → E-8

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.7; नियम 38-क; आदेश 4297; प्ररूप 15/16 — नियम 46/46-क

CLOCK ERROR — स्टेज देखिए, मॉडल नहीं

सुधार

कब दिखे	क्या करें
प्रस्थान के समय	CU परिवर्तित करवाएँ [खण्ड A-8(iii)]
मॉक पोल में	CU परिवर्तित करवाएँ [खण्ड B-2]
मतदान के दौरान	CU नहीं बदलेंगे — उसी से मतदान जारी + समय का पंचनामा (एजेंटों के हस्ताक्षर; डायरी के साथ) [खण्ड C-7]

अन्य त्रुटियों का सूत्र

Busy अटके (भूलवश Ballot) → BU अलग कर पावर पुनः चालू — CLOSE तब चलेगा। [अ.11(2)]

LINK/PRESSED/SDMM — उपाय MPSV अ.7 की तालिका से; मशीन बदलनी पड़े तो नई-मशीन नियम (मॉक+घोषणा) लागू।

05

समाप्ति — CLOSE से रसीद तक

नियम-श्रृंखला: 47-क → 48-क → 49-क → 50-क (स्थगन पर भी यही: 54-क)

प्ररूप 14-ग — भरने का क्रम

1. **शीर्ष**
   वार्ड · केन्द्र · भाग सं. · CU व BU के पहचान-क्रमांक (मॉक पोल में नोट किए दोनों सीरियल)
2. **मद 1–2**
   नियत निर्वाचक · रजिस्टर 14-क में दर्ज कुल
3. **मद 3–4**
   'No Vote' बनाम 'अनुमति नहीं' — कभी न मिलाएँ
4. **मद 5–6**
   CLOSE की संख्या तत्काल मद 5 में; मिलान: 5 = 2−3−4 — फर्क हो तो विवरण
5. **मद 7–8**
   निविदत्त: जारी संख्या व क्रमांक से…तक (प्राप्त/जारी/वापस)
6. **मद 9**
   पेपर सीलों का लेखा + एजेंटों के हस्ताक्षर का स्तम्भ

> **प्रतियाँ**
> एक प्रति → E-9 (ऊपर लिखें: "Account of Votes Recorded" [49-क(2)]); दूसरी डायरी सहित → E-11।
> एजेंट माँगे तो प्रमाणित प्रति दें।

लिफाफे और सुपुर्दगी — अंतिम आधा घंटा

सीलबंद (चपड़ी) E-1…E-8	बिना सील E-9…E-14
चिन्हित प्रति · रजिस्टर 14-क · प्रयुक्त पर्चियाँ	14-ग प्रति · घोषणाएँ+परि-19 · डायरी+प्रति
निविदत्त: अप्रयुक्त/प्रयुक्त/सूची 14-ख	सांख्यिकी · अप्रयुक्त पर्चियाँ
आक्षेपित सूची (13) · EDC (प्ररूप 16)	विविध: 9/10/12, रसीद बुक, अप्रयुक्त टैग-सीलें, कार्यकारी प्रतियाँ

तीन बातें जो छूटती हैं

हर पैकेट पर अन्तर्वस्तु का विवरण — यह नियम 48-क की अपेक्षा है, सावधानी मात्र नहीं।
50-क की चार चीज़ें RO को: मशीन · 14-ग · सीलबंद पैकेट · शेष सब कागज़ात।
डायरी स्ट्रांग रूम में नहीं जाती [आदेश 858]; स्थगन पर भी पूरी श्रृंखला वैसी ही [54-क]।

स्रोत: मार्गदर्शिका अ.11(6)-(7); नियम 48-क (अंतिम वाक्य), 50-क; डायरी: आदेश 858

इस डेक के मुख्य संदर्भ — कहाँ क्या मिलेगा

संदर्भ	PRO के लिए किस काम का
मार्गदर्शिका 2026 (अ.1–14)	पूरी भूमिका की रीढ़ — कर्तव्य, घोषणाएँ, डायरी, लिफाफे
नियम 32-ख · 43(5) · 47-क–50-क · 54-क	सीलिंग का प्रयोजन; ₹2 की कसौटी; समाप्ति-शृंखला; स्थगन
परिपत्र 2184 दि. 30.07.2026	कमीशनिंग-व्यवस्था; END बटन मास्क [¶9(xxi)]; नई-मशीन नियम [¶11(4)]
आदेश 5310 · 5681 · 2205 · 4297 · 858	पहचान-दस्तावेज; CLOCK ERROR; पुनर्मतदान-स्याही; PwD; डायरी की सुपुर्दगी
MPSV पुस्तिका (ECIL)	त्रुटि-तालिका, Busy-अनुशासन, CRC
लोप्रअ धारा 128–134	गोपनीयता व केन्द्र के अपराध — घोषणा में धारा 128 पढ़नी है

साथ रखें

PO-1/2/3 के समर्पित डेक (कर्तव्य-विभाजन वहीं विस्तार से); EVM डेक व सिमुलेशन लैब (बटन-स्तरीय अभ्यास); Forms डेक (14-ग सहित प्ररूप)।

PRO की पाँच अटल बातें

1. **मॉक के बाद CLEAR, सील से पहले स्विच ऑफ**
   दो चूकें जो दिन बिगाड़ती हैं
2. **दो सीरियल + पेपर-सील क्रमांक**
   14-ग का शीर्ष व मद 9 यहीं से भरते हैं
3. **मद 3 बनाम मद 4**
   स्वयं नहीं डाला बनाम आपने नहीं देने दिया
4. **₹2 = नियम 43(5) की कसौटी**
   जब्त केवल तुच्छ/असद्भाव पर — निर्णय सकारण
5. **समाप्ति पर पर्चियाँ पीछे से**
   और CLOSE के बाद कोई मत नहीं — किसी भी दबाव में नहीं

स्वतंत्र प्रशिक्षण-सामग्री

टीम समदड़ी (BLMT), जिला बालोतरा — यह राज्य निर्वाचन आयोग का प्रकाशन नहीं है।
प्रत्येक स्लाइड पर स्रोत अंकित है; कोई भी अंक/नियम मूल आदेश से मिलाकर ही उद्धृत करें।